

राजस्थानसरकार

स्वायत्त शासनविभाग, राजस्थानजयपुर

(जी-3, राजमहलरेजीडेन्सी ऐरिया, सिविललाईनफाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)

टेलीफैक्स नं. 0141-2222403, 2229314

ईमेल-dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : PSKS/अभियान-21/डीएलबी/2021/ 4296-4509

दिनांक : 25/04/2022

समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,

नगर निगम/परिषद्/पालिकाएँ,

राजस्थान।

विषय – प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत आयोजित शिविरों में आवश्यक व्यवस्थाएँ किए जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के नगरीय क्षेत्रों में दिनांक 02.05.2022 से "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021" पुनः आरम्भ किया जा रहा है।

अतः "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021" के तहत आयोजित किये जाने वाले शिविरों के दौरान कृपया निम्नांकित व्यवस्थाएँ कराया जाना सुनिश्चित करावे :-

1. शिविर का आयोजन प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक अथवा कार्य समाप्ति तक।
2. एक सप्ताह में न्यूनतम तीन शिविर लगाये जावे व एक शिविर 3 से 5 वार्ड संयुक्त रूप से (परिस्थिति अनुरूप) भी लगाया जा सकता है। शिविर का व्यापक प्रचार प्रसार करवाने की जिम्मेदारी संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी की रहेगी। जहाँ तक संभव हो शिविर किसी सार्वजनिक स्थल जहाँ आमजन की पहुंच हो, लगाया जावे। राजकीय अवकाश के दिन शिविर न लगाया जावे।
3. शिविर स्थल पर शिविर से संबंधित वार्डों का रिकार्ड/पत्रावली सहित उपस्थित रहें।
4. शिविर में बिजली, पानी एवं छाया की समुचित व्यवस्था।
5. शिविर में सभी विभागों के स्टाफ एवं आम नागरिकों के बैठने की समुचित व्यवस्था।
6. शिविर में आम जनता एवं प्रशासन के मध्य समन्वय हेतु मार्शक आदि की व्यवस्था।
7. सभी प्रकार के आवेदन पत्रों की व्यवस्था।
8. निकाय द्वारा सभी प्रकार के आवेदन पत्रों के साथ लिए जाने वाले शुल्कों के विवरण Display किए जाने की व्यवस्था।
9. अभियान के दौरान विभिन्न रंगों में पट्टा जारी किए जाने हेतु कलर प्रिन्टर की व्यवस्था (निकाय में उपलब्ध नहीं होने पर Outsources से व्यवस्था की जा सकती है।)
10. फोटो कॉपी मशीन की व्यवस्था।
11. E-Mitra, Nagar Mitra के लिए व्यवस्था।
12. जोनल-प्लान/Lay Out Plan/अनुमोदित कॉलोनियों की सूची के Display की समुचित व्यवस्था।
13. प्रकरणों के Online निस्तारण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ।
14. शिविर में राशि जमा करने हेतु व्यवस्था।
15. सड़क रिपेयर, लाईट, नालियों की मरम्मत आदि समस्या के मौके पर ही समाधान हेतु समुचित व्यवस्था।
16. Deed Writer, Stamp vendor, Notary, Oath Commissioner की व्यवस्था।  
उपर्युक्त सभी व्यवस्थाएँ कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए की जावे।

(हृदेश कुमार शर्मा)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : PSKS/अभियान-21/डीएलबी/2021/ 4510-4524

दिनांक : 25/04/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, सलाहकार महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
6. उप निदेशक (प्रशासन), स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
7. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
8. संयुक्त निदेशक, आई.टी. अनुभाग निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं वी.सी. की आवश्यक व्यवस्था हेतु।
9. सुरक्षित पत्रावली।

(संजीव कुमार पाण्डेय)  
अतिरिक्तनिदेशक